न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री मोहनराम ढाका पुत्र श्री सालगराम, जाति ढाका, (विक्रेता व मालिक)
   निवासी–गांव मगरासर, पोस्ट मून्दड़ा तह. सुजानगढ़ जिला चुरू।
   फर्मः–होटल प्रिंस मिडवे वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने, निम्बी जोधा, तह. लाडनूं जिला नागौर।
   हॉल मुकामः–वीर तेजा हाईवें सेंटर पेट्राल पम्प के सामने, निम्बी जोधा तह. लाडनूं जिला नागौर।

प्रकरण संख्या :– 58/2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. अभियुक्त श्री मोहनराम ढाका।
2. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांक :–12.03.2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.07.2021 को समय 01:00 पी.एम. पर फर्म–मैसर्स होटल प्रिंस मिडवे वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने निम्बी जोधा, तह. लांडनू जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मोहनराम ढाका पुत्र सालगराम जाति जाट, उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वंय को होना बताया तथा गांव मगरासर पोस्ट मून्दड़ा तह. सुजानगढ़ जिला चुरू का निवासी तथा हॉल मुकाम वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने, निम्बी जोधा तह. लाडनू जिला नागौर होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये ऑन लाईन की रसीद व फार्म–ए की छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर 07 किलो दही एक डीप फ्रीज के अन्दर एक स्टील की बड़ी भगोनी में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। विक्रेता से पुछने पर उक्त दही मिक्सड दूध से निर्मित होना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह दही मिक्सड दूध से निर्मित का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में डीप फ्रिज के अन्दर रखे दही जिसमें लगभग 07 किलो दही रखा हुआ था को बाहर निकालकर, भगोनी में भरे हुए दही का वर्टीकल कट लगाकर इसमें से एक भाग एक साफ सुखी एवं स्वच्छ भगोनी में निकालकर उसको मथनी से अच्छी तरह से मथकर इसमें से 800 ग्राम दही (मिक्सड दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जांच हेतु तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 64/–(अक्षरे चौसठ रूपये. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ दही (मिक्सड दूध से निर्मित) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1566 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री प्रेमचन्द भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ दही (मिक्सड दूध से निर्मित) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही (मिक्सड दूध से निर्मित) का नमूना Q–1566 सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 04.03.2022 को प्रतिवादी मोहनराम ढाका ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जो निम्नानुसार है–

1. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 01 आवेदक स्वयं साबित करें।
2. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 02 आवेदक स्वंय साबित करें।
3. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 03 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। दही का नमुना लेते वक्त उसको अभियुक्त के सामने सील पैक नहीं किया था।
4. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 04 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। दही को मथकर बिलौकर नमुने लिये थे जिस स्थिति में दही था उस स्थिति में नमूना नही लिया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

5. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 05 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। मोहनराम ढाका के सामने किसी भी प्रकार की सील मोहर की कार्यवाही नही की गई थी। केवल मात्र आवेदक ने अपने पद का रोप दिखाकर व झूठे मुकदमें में फसानें की धमकी देकर हस्ताक्षर करवाये थे।
6. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है।
7. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 07 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। उक्त दही को उचित तापमान में आवेदक द्वारा नहीं रखा गया। इस कारण जांच में सब स्टैण्र्ड पाया गया।
8. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार है। दही को वास्तविक स्थिति में नही भेजा गया था।
9. यह है कि परिवाद का पैरा संख्या 09 व 10 की जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब पेश कर माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि आवेदक की गलती से व सही तरीके से नमूना नहीं लेने से उक्त दही सब स्टैण्र्ड आया है। अभियुक्त ने उक्त दही में किसी प्रकार की मिलावट की हो ऐसा कोई भी तथ्य या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इसलिए अभियुक्त निदीश है जिसे बाईज्जत बरी कियाह जावे विकल्प में यह भी प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त निहायति गरीब मजदूरी पैशा आदमी है जो होटल पर लोगों के झुठे बर्तन सा। करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है इस कारण अभियुक्त मोहनराम ढाका के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाने की प्रार्थना है।

(4) प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.07.2021 को समय 01:00 पी.एम. पर फर्म–होटल प्रिंस मिडवे वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने निम्बी जोधा, तह. डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मोहनराम ढाका पुत्र श्री सालगराम जाति जाट उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वंय को होना बताया तथा गांव मगरासर पोस्ट मून्दड़ा तह. सुजानगढ़ जिला चूरू का निवासी तथा हॉल मुकाम वीर तेजा हाईवें सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

निम्बी जोधा तह. लाडनू जिला नागौर होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये ऑन लाईन की रसीद व फार्म–ए की छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर 07 किलो दही एक डीप फ्रीज के अन्दर एक स्टील की बड़ी भगोनी में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। विक्रेता से पुछने पर उक्त दही मिक्सड दूध से निर्मित होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह दही मिक्सड दूध से निर्मित का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में डीप फ्रिज के अन्दर रखे दही जो लगभग 07 किलो दही रखा हुआ था को बाहर निकालकर, भगोनी में भरे हुए दही का वर्टीकल कट लगाकर इसमें से एक भाग एक साफ सुखी एवं स्वच्छ भगोनी में निकालकर उसको मथनी से अच्छी तरह से मथकर इसमें से 800 ग्राम दही वास्ते नमूना जांच हेतु तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 64/–(अक्षरे चौसठ रूपये. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ दही के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1566 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–होटल प्रिंस मिडवे वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने, निम्बी जोधा तह. लाडनूं जिला नागौर, विक्रेता मालिक मोहनराम ढाका पुत्र श्री सालगराम ढाका जाति जाट, निवासी–गांव मगरासर पोस्ट मून्दड़ा तह. सुजानगढ जिला चुरू से खाद्य पदार्थ दही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, प्रेमचंद भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/264/Act/2021/157 दिनांक 11.08.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The Sample of **Dahi** made from mix milk bearing Code No. and Sr. No. Q- 1566 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Ajmer is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards And Provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ दही की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मोहनराम ढाका से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही का नमूना Q–1566 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्तिः–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकःचिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/6701 दिनांक 01.09.21 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–मैसर्स होटल प्रिन्स मिडवे, वीर तेजा हाईवे सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने, निम्बी जोधा तह. लाडनूं जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रतिवादी मोहनराम ढाका पुत्र श्री सालगराम ढाका जाति जाट, निवासी गांव मगरासर पोस्ट मून्दड़ा तह. सुजानगढ़ जिला चूरू फर्मः–होटल प्रिंस मिडवे वीर तेजा हाईवें सेंटर पेट्रोल पम्प के सामने, निम्बी जोधा तह. लाडनूं जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रुपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना